भारत में कालेधन का सच

डा0 नंदिता
एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
इलाहाबाद डिग्री कालेज,
संघटक महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज।

सारांश

कुछ समयसे काला धन एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों ने जनता, समाज एवं सरकार का ध्यान तेजी से अपनी ओर आकृष्ट किया है। मानव की भौतिकवादी विचाारधारा और नैतिक मूल्यों के हास्य ने देश में काले धन की समस्या को तेजी से बढ़ावा दिया है। कालाधन वह धन होता है जिसमें से कर के रूप में कुछ हिस्सा सरकार को नहीं दिया जाता है। कर ना देने के लिए ऐसे धन को सरकार से छुपा के रखा जाता हैं ऐसी बड़ी संख्या में लोग करते हैं कि वे धन को छुपा कर रखते हैं ताकि उन्हें उस पर कर ना देना पड़े और वे अपना कमाया धन बचा सके। इस समस्या की वजह से कर की दर बढ़ जाती है, महँगाई तेज हो रही है और आयात–निर्यात पर भी अब कर में बढ़ोत्तरी की जा रही है। जब हम काले धन या समानांतर अर्थव्यवस्था पर देते ध्यान हैं तब एक बात स्पष्ट होती है, कि इसमें वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता, जो इस काले धन को रखता है बल्कि इससे वे लोग प्रभावित होते हैं, जो इससे वंचित र गए हैं साथ–ही–साथ इस देश की सरकार और देश का विकास भी प्रभावित होता है।

हालांकि इसमें सरकार वांछित कदम उठा रही है लेकिन इसमें आम आदमी के साथ के बिना इस समस्या से छुटकारा नही मिल सकता है। सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए लगातार प्रत्यत्न कर रही है क्योंकि इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हो पा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में कालेधन की अवधारणा, भारत में काले धन की उत्पत्ति एवं इसके विभिन्न आंकलन, प्रभावों/समस्याओं तथा नियंत्रण के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना :

विगत कुछ समय से काला धन एवं भ्रष्टाचार के दोहरे मुद्दे भारत सहित विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विमर्श के केन्द्र बने हुए हैं जो आन्तरिक अर्थव्यवस्था के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक सम्बन्धों को भी प्रभावित कर रहे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् काले धन के अनियन्त्रित प्रसार ने अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह समस्या लगातार गम्भीर होती गयी है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत विभिन्न संरचनात्मक समस्याओं से गुजर रहा था। ऐसे में सरकार के नियोजित प्रयासों ने विकासात्मक बाधाओं को दूर किया जिससे देश में विभिन्न स्तर पर तेजी से विकास सम्भव हो सका, परन्तु उसी समय भ्रष्टाचार और कालेधन की समस्याएं भी गम्भीर होती गयीं। कर नैतिकता (Tax Morality) की कमी तथा कर नियमों (Tax Laws) के प्रति लोगों के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण ने देश में कालेधन की मात्रा में वृद्धि की। वर्तमान उदारीकरण के दौर में भारत जैसे विकासशील देशों में काला धन विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज यह तथ्य सर्वमान्य हो गया है कि देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है जो हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की गत्यात्मक स्थिरता के लिए खतरा बन रही है।

कालेधन की अवधारणा :

काला धन अथवा गैर कानूनी धन ऐसा धन होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता और यह अनैतिक साधनों एवं कर चोरी से उपार्जित किया जाता है। सामान्यतया व्यापारी, जमाखोर, राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों की मिलीभगत एवं षडयंत्र से काले धन का प्रसार होता है। काले धन से सबसे अधिक लाभ धनी व्यक्तियों को ही होता है। यह धन गुप्त रूप से जमा रहता है। इस धन के प्रमुख स्रोत उत्पादन कर, आय कर, मृत्यु

कर, सम्पत्ति कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि की चोरी है। तस्करी एवं रिश्वतखोरी आदि द्वारा कमाया धन भी काले धन की श्रेणी में आता है। उचित स्रोत के अभाव में काले धन को घर अथवा बैंक में रखना सम्भव नहीं होता है। अतः लोग इसका उपयोग सामान्यतया मकान, दुकान, आभूषण, टिकाउ उपभोग वस्तुओं, प्रदर्शन वस्तुओं अथवा अन्य चल–अचल सम्पत्ति में करते हैं।

कालाधन का स्रोत :

काला धन मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न करता है। प्रथमतः अवैध साधनों को प्रयोग करके काले धन की प्राप्ति, जैसे–तस्करी, फ्लैटों और दुकानों के आवंटन में ली जानेवाली, पगड़ी की राशि, माल के कोटों तथा लाइसेंसों को गैर–कानूनी रूप में बेचना, गुप्त कमीशन या घूसखोरी, विदेशी विनिमय की चोरी से प्राप्त धन तथा सरकारी नियंत्रण में बिक्री की कुछ वस्तुओं को काले बाजार में बेचने से अर्जित धन, आदि।

इसी प्रकार दूसरे, प्रकार का काला धन वह होता है, जिसके अर्जन का स्रोत उपर्युक्त के विपरीत अर्थात् न्यायपूर्ण तथा वैध साधन होते हैं, परंतु अर्जन करने वालों के व्यक्तिगत व्यवहार के कारण यह काले धन का रूप ले लेता है। अपनी आय को कर–अधिकारी से छुपाकर तथा उस पर कर अदा न करके अर्थात् 'कर–वंचन' के फलस्वरूप भी कालेधन की उत्पत्ति होती है।

- करों की ऊँची दरें काले धन के एक प्रमुख कारण है क्योंकि कर की ऊँची दरें कर वंचन को प्रोत्साहन कर काले धन का निर्माण करती हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के करों के संबंध में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे काला धन बढ़ता ही जा रहा है।

- अचल सम्पत्ति, व्यापार और निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों ने भी काले धन को प्रोत्साहित किया है। अंचल संपत्तियों भूमि, भवन आदि को हस्तान्तरण भी काले धन का एक बड़ा स्रोत है। के.एन. वांचू समिति की जाँच से यह स्पष्ट हो गया है कि महानगरों में अचल सम्पत्ति के मूल्य 60.40 के अनुपात में अदा किए जाते हैं, जिसमें 40 का अनुपात काले धन के रूप में होता है। कभी–कभी तो यह अनुपात 40:40 या 40:60 के अनुपात में भी देखने को आता है।

- सट्टेबाजी, ठेकेदारी एवं विभिन्न प्रकार के अनुचित उपायों द्वारा अवैध आय, संरक्षित बाजार से प्राप्त आकस्मिक लाभ, आयात–प्रतिबन्धों द्वारा स्थापित की गई अर्द्ध–एकाधिकारी परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में आयात कोटा या अभ्यंश एवं लाइसेन्स प्रणाली के कारण उच्च वर्गों को अवैध आय प्राप्त होती है।

- ''हवाला बाजार'' भी काले धन के सृजन का एक बड़ा स्रोत है हवाला बाजार काली विदेशी मुद्रा के क्रय–विक्रय का अवैध साधन है।

- राजनीतिक दलों के नित पोषक एवं चुनावी व्यय ने भी अनेक प्रकार से काले धन को बढ़ावा दिया है। राजनीतिक दल के सदस्य बड़े–बड़े पूँजीपतियों से पैसा लेकर अवैध रूप में काम कराने का भरोसा देते हैं। चूंकि कानून ने उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय को सीमित किया हुआ है, तथा कम्पनियों को राजनैतिक पार्टियों को चुनाव के लिए चन्दा देने की अनुमति नहीं दे रखा है, अतः चुनाव का व्यय अधिकांश कालेधन से किया जाता है। जो लोग चुनावों में कालाधन लगा रहे हैं, वे राजनैतिक संरक्षण व आर्थिक रिसायतों की आशा रखते हैं जो उन्हें वस्तुओं के कृत्रिम नियंत्रण तथा वितरण साधनों में शिथिलता आदि द्वारा राजनैतिक अभिजनों की सहमति व संरक्षण प्राप्त होती है।

- हमारे देश के राजनीतिज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने घूस खोरी एवं घोटाले के माध्यम से भी काफी काला धन जमा कर रखा है। विदेशी व्यापार में निर्यात का मूल्य कम और आयात का मूल्य अधिक दिखा कर विदेशी मुद्रा की हेरा–फेरी भी की जाती है तथा अर्जित विदेशी काली मुद्रा या तो विदेशी बैंकों में गुप्त खातों में जमा की जाती हो या हवाला व्यापार में लगायी जाती है।

- कृषि क्षेत्र को आयकर परिधि में लाने की असफलता ने भी काले धन को प्रोत्साहित किया है क्योंकि काले धन से उगाही गयी राशि कृषि क्षेत्र में लगाकर सफेद धन बता दिया जाता है।
- भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डाक्टर, वकील नौकरशाही, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षा का क्षेत्र तमाम नीति क्षेत्र में कमाने वाले व्यक्ति, काले धन में लिप्त हैं, वे लोग अपने कमाई का सही आकलन नहीं बताने और करवंचना करके काला धन को बढ़ावा देते हैं।

काले धन का प्रभाव :

'के.एन.वांचू समिति' ने अर्थव्यवस्था पर काले धन के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पर काले धन के बड़े खतरनाक और विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। वास्तव में, काले धन की अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है, जो अदृश्य रूप में सफेद धन की अर्थव्यवस्था के समानांतर कार्य करती है। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक उसी प्रकार एक–दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं जिस प्रकार दो समानांतर रेखाएं एक–दूसरे को नही काटती है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कालाधन एक काले धब्बे की तरह है। अर्थव्यवस्था के साथ–साथ काला धन समाज में भी गलत असर डाल रहा है। इसकी वजह से अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर बढ़ता है जिस वजह से सामजिक अंतर होता है और गरीब और गरीब हो जाता है। जब सामजिक बदलाव बढ़ जाते है तो चोरी, डकैती और लूटपाट जैसी घटनाओं में इजाफा होता है।

इसके अलावा कालेधन की वजह से कर चोरी होती है। कर चोरी का अर्थ उस राशि से भी है जो देश के विकास और विकास के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, सरकार तक नहीं पहुंची। अगर सरकार को पर्याप्त राजस्व नहीं मिला तो यह देश के विकास और गरीब तबकों के उत्थान के लिए नई परियोजनाएं बनाने में असमर्थ होगा।

आर्थिक प्रभाव :

काला धन देश की अर्थव्यवस्था को अपूर्णनीय हानि पहुँचाता है और इसका प्रभाव आम आदमी पर अधिक पड़ता है। इसके कारण अनेक आर्थिक समस्याएँ जैसे–मुद्रा स्फीति दबाव में वृद्धि, विकास कार्य में बाधा, संसाधनों में अव्यवस्था, कर आधार का सीमितिकरण और समानान्तर अर्थव्यवस्था का उदय आदि उत्पन्न हो जाती हैं। देश का आर्थिक सन्तुलन खतरे में पड़ जाता है। सामान्य व्यापार के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं तथा वित्तीय संस्थानों और वाणिज्य संस्थाओं के संसाधन विकृत और इधर–उधर हो जाते हैं (क्राइम इन इण्डिया, 1995, पेज–330)। काले धन के कारण ही जमीन–जायदाद की कीमतों में भारी उछाल बना रहता है और वे आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विस्फोटक होती जा रही है।

सामाजिक प्रभाव :

काले धन के अनेक सामाजिक दुष्परिणाम भी होते हैं। सामाजिक दृष्टि से काला धन सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार के जन्मस्थल का काम करता है, ईमानदार लोगों में कुण्ठा पैदा करता है, तस्करी, रिश्वत जैसे अपराधों को जन्म देता है तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के कार्यक्रमों पर कुप्रभाव डालता है। यह यथार्थ दरों जैसे विकास दर, मुद्रा स्फीति दर, बेरोजगारी दर, गरीबी आदि के सही आकलन को विकृत करता है जो पुनः इनको रोकने की सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है।

राजनैतिक प्रभाव :

काले धन के कारण अनेक राजनैतिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार भी काले धन को बढ़ाने में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है। ठेके उपलब्ध कराने कारोबार में छूट देने, लाइसेंस देने, गोपनीय सूचनाएँ देने तथा ऐसे कानून बनाने, जिनसे बच निकलने के रास्ते हों के, नाम पर शीर्ष नेता

जमकर काला धन कमाते हैं। सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली तमाम वस्तुओं तथा रक्षा सामग्री, विदेशी तथा देश की बड़ी कम्पनियों द्वारा दिए गए ठेकों तथा काले को सफेद करने वाले पक्षपातपूर्ण कृत्यों के एवज में मिलने वाले कमीशन से काला धन अर्जित किया जाता है। इस प्रकार करप्शन और कमीशन मनी बड़े पैमाने पर काले धन के विदेशी भण्डार को समृद्ध बना रही है।

कालाधन का अनुमान :

भारत में काले धन के अनुमान के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियां बनी जिन्होंने अपनी अनुमान प्रस्तुत की। विदेशों में भारत का कितना काला धन जमा है, इस पर अलग–अलग आंकड़े आते रहे हैं, अब देश की तीन दिग्गज संस्थाओं ने अपने आकलन में पाया है कि भारतीयों ने 490 अरब डॉलर यानी कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपये का काला धन विदेशों में जमा कर रखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 2010 के बीच भारतीयों ने 216.48 अरब डॉलर से लेकर 490 अरब डॉलर काला धन विदेशों में जमा किया है. ये अध्ययन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऐंड फाइनेंस (NIPFP) नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनैंशल मैनेजमेंट (NIFM) ने किया है।

NCAER ने अपने अध्ययन में पाया है कि 1980 से 2010 के बीच भारतीयों ने 384 बिलियन डॉलर से लेकर 490 बिलियन डॉलर काला धन विदेशों में जमा किया।

NIFM का आकलन है कि 1990–2008 के बीच 216.48 बिलियन डॉलर अवैध तरीके से विदेश विदेश भेजा गया. रुपयों में ये रकम 9 लाख 41 हजार 837 करोड़ आता है। कहा गया है कि काला धन पैदा होने या जमा होने को लेकर कोई विश्वसनीय अनुामन नहीं है और न ही इस तरह का आकलन करने की कोई सर्वमान्य पद्धति है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने राय दी है कि तीनों रिपोर्ट को मिलाकर एक अघोषित धन के पर एक सर्वमान्य आकलन पर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः बताना कि भारत में कितना काला धन है और कितना विदेशों में काला धन जमा है कठिन हैं श्री आर. वैद्यनाधन ने अनुमान लगाया है कि इसकी मात्रा लगभग 7280000 करोड़ है।

वाशिंगटन :

काले धन के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है. अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2003 से साल 2012 तक 539.59 बिलियन डॉलर (28 लाख करोड़) का काला धन देश से बाहर भेजा है. थिंक टैंक की यह रिपोर्ट साल 2012 के आंकड़ों पर आधारित हैं।

इस रिपोर्ट के हिसाब से रूस अबतक कुल 122.86 बिलियन डॉलर के काले धन के साथ नंबर वन है वहीं चीन नंबर दो है और इन दोनों के बाद भारत का नंबर है. भारत में काला धन इकट्ठा करने वालों ने साल 2012 में ही 94.76 बिलियन डॉलर (6 लाख करोड़) का काला धन बाहर भेजा है.

अमेरिका के वाशिंगटन आधारित इस रिसर्च ग्रुप के अनुसार दुनिया में मौजूद काले धन (6.6 ट्रिलियन डॉलर) का दसवां हिस्सा भारतीयों द्वारा जमा किया गया है. यह पैसा अपराध, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी द्वारा जमा किया गया है। बताते चलें कि काले धन की समस्या पर काम करने के लिए एसआईटी का गठन किया है जिसने 14,958 करोड़ के काले धन की जांच के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में जमा कुल काले धन के मामले में भारत का चौथा स्थान है, भारत से आगे केवल चीन (1.25 ट्रिलियन डॉलर), रूस (973.86 बिलियन डॉलर) और मैक्सिको (514.26 बिलियन डॉलर) है।

काले धन पर नियत्रंण :

कालेधन के खिलाफ जहाँ एक तरफ सैद्धातिक स्तर पर जोरदार अभियान की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ ठोस पहल करनी पड़ेगी। हमारे देश में आज काला धन एक

बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण कई और समस्याओं ने जन्म ले लिया है। कालेधन की वजह से ही अमीर और गरीब लोगों में बहुत अंतर आ गया है और देश का विकास इस कारण बाधित हो रहा है। इस समस्या की वजह से कर की दर बढ़ गयी है, महँगाई तेज हो रही है और आयात–निर्यात पर भी अब कर में बढ़ोतरी की जा रही है। हालंकि इसमें सरकार वांछित कदम उठा रही है है लेकिन इसमें आम आदमी के साथ के बिना इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता है।

- भ्रष्टाचार रोकने की पहल सर्वप्रथम राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए।
- कर चोरी रोकने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया जाना चाहिए, साथ ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो में आर्थिक अनुसंधान विभाग के अधिकारियों की बढ़ोत्तरी की जाय।
- कर की दर को कम किया जाय तथा साथ ही कर के स्लैब भी कम किए जाने चाहिए।
- राजनीतिज्ञों एवं उच्च अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति की वार्षिक घोषणा करने की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए तथा उन पर भी काला धन रखने पर कठोर सजा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सरकार को ईमानदार एवं निष्ठावान अधिकारियों को भी सम्मान योजना के तहत लाना चाहिए।
- काले धन का प्रयोग नए उद्योगों में लगाने के लिए लाभों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्पाद केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ताकि उत्पाद शुल्क में कर वंचन को न्यून किया जा सके।
- राष्ट्रीय एवं कानूनी छान–बीन जांच आयोग निष्पक्ष कार्यवाही करे साथ ही बच्चों में पारिवारिक स्तर से ही कर्तव्यपरायणता, सदाचार, ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जाय।
- कृषि आय पर भी कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए उसे कृषि क्षेत्र में लगाया जाता है।
- वास्तविक सम्पत्ति के सौदों में बेमानी विक्रय बंद होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की खरीद को बहुत कम कीमत घोषित कर इसका पंजीकरण करना चाहता है तो उसके क्रय का पूर्वाधिकार सरकार को प्राप्त करनी चाहिए।
- सरकारी मशीनरी, प्रशासन आदि को चुस्त–दुरुस्त एवं दूरदर्शी बनाया जाय, इसके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाना चाहिए। यदि काला धन रखने वालों को सख्त सजा का भय रहे, तो व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार हो सकता है।
- स्वैच्छिक घोषणा योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक काला धन सामने आ सके।
- आम चुनावों के समय राजनीतिक दलों को विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों पर नियंत्रण तथा निगरानी रखी जानी चाहिए। फण्ड की पूरी रकम का लेखा जोखा चुनाव आयोग को दिये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।
- आईटी अधिकारियों द्वारा संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग इस घटना में कोई काला धन नहीं छिपाएं।
- राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, वरिष्ठ सिविल सेवकों और मीडिया के लोगों को अपने करों का भुगतान करने के लिए आम जनता के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।

मोदी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे घरेलू और विदेश स्तर पर कालेधन में कमी आई है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने स्विस अकाउंट की जानकारी इकठ्ठा करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार के साथ ऑटोमैटिक इनफार्मेशन एक्सचेंज का समझौता किया। इसके अलावा सरकार विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए सख्त जुर्माने के प्रावधानों वाला 'द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 लेकर आई, साथ ही केंद्र सरकार ने 2 लाख से ऊपर की खरीदी पर पैन कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है।

गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा 1 जून, 2016 को शुरू की गई इनकम डिक्लेरेशन स्कीम (आईडीएस), जिसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2016 थी, यह भी अब कारगर साबित होती दिखी। इस अघोषित आय खुलासे की योजना से अब तक सरकार को 65,250 करोड़ रुपये मिले और सरकार को इससे 30 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिलेंगे। इस योजना के तहत आय का खुलासा करने पर 45 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जिसमें 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, 7.5 प्रतिशत पेनल्टी और 7.5 प्रतिशत कृषि कल्याण टैक्स शामिल हैं। अगर मोदी सरकार के कालेधन पर प्रतिबद्धता को आंकने का प्रयत्न करें तो यह आंकड़े काफी हद तक स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं।

दरअसल, मोदी सरकार ने पिछले दो वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी, 21,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा किया 3,963 करोड़ रुपये का तस्करी का सामान जब्त किया और 1,466 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की। अलबत्ता सरकार की भ्रष्टाचार और कालेधन विरोधी नीतियों का ही असर है कि स्विस बैंक में भारतीयों के धन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के स्विस अकाउंट में एक तिहाई की रिकॉर्ड कमी आई है। स्विस खातों में भारतीयों का धन 1.2 बिलियन फ्रांक (8,392 करोड़) रह गया है।

निष्कर्ष :

मानव की भौतिकतावादी विचारधारा और नैतिक मूल्यों के ह्रास ने देश में काले धन की समस्या को तेजी से बढ़ावा दिया है। काले धन के इस अति प्रसार के कारण आज हर तरफ अवैध आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। आज अधिकांश व्यक्ति तथा संस्थाएं कर–वंचन में संलग्न हैं और ऐसे आधिक्य सृजन कर रहे हैं जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो पाता है। कर वंचन के अतिरिक्त अपराध, ड्रग व्यापार, आतंकवाद, तस्करी हथियारों का व्यापार एवं भ्रष्टाचार देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। यह निम्न कर राजस्व, भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित स्फीति, रीयल स्टेट सेक्टर में तेजी भारतीय कोषों का विदेशों में स्थानान्तरण, असामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन आदि के रूप में अर्थव्यवस्था को गम्भीर खतरे में डालकर विकास के सम्भावित लाभों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इससे लोगों की क्रय–शक्ति में कमी आई है। देश एवं समाज में आय की विषमता बढ़ी है तथा धनी एवं निर्धन के बीच असमानता असहनीय होती जा रही है। विभिन्न योजनाओं की विफलता भी इसी का परिणाम है।

सरकार द्वारा समय–समय पर काले धन के आंकलन एवं कर–चोरी को रोककर काले धन पर नियन्त्रण लगाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है एवं विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया गया है, परन्तु इसके बाद भी देश में काले धन की मात्रा बढ़ती ही गयी है। स्पष्टतः काला धन देश की अर्थव्यवस्था को सामाजिक–आर्थिक रूप से हानि पहुंचा रहा है। यदि यह धन राष्ट्रीय हित में उपयुक्त विधियों से उपयोग किया जाये तो देश की अर्थव्यवस्था विकास के नये आयाम प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि सरकार ने 2015–16 के बजट में कालेधन पर कठोर रूख अपनाया है। बजट में कर चोरी पर 10 वर्ष की सजा और विदेशों में कालाधन छिपाने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही, इसके लिए नया कानून बनाने की बात की गयी है। काले धन के प्रसार से उत्पन्न प्रभावों को देखते हुए इस पर शीघ्र नियन्त्रण की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. Kumar K.R. (2014) Black money in India- A conceptual Analyasis, Journal of Research, 3(1).
2. Datta, R. & K. Sundharam 2017, Indian Economy, New Delhi S. Chand & Comapny.
3. Agrawal, C.A. Lalit Mohan (2012) edit, "White Paper on Black Money" Journal of securities Academy & Faculty for e-Education Vol. 72
4. White paper of Black Money, Published by ministary of finanace, New Delhi-2012.
5. http/www.hindustantimes.com
6. संजय गुप्ता, 'काले धन का कारोबार' दैनिक जागरण कानपुर रविवार 30 नवम्बर, 2014, पृष्ठ सं0–11
7. Pendse, D.R., "Black Money : Its nature and Causes" The Economics Times, March 19, 182
8. मिश्रा एवं पुरी– भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालीयन पब्लिकेशन, गाजियाबाद, नई दिल्ली।
9. Black Money Menace in India, Assocham Recommentations, January, 2012.
10. Kumar, Arun : The Black Economy in India, Penguin Books, 2002.
11. Measuere to Tackle Black Money in India and Abroad (Report), Ministry of Finance, Govt. of India, 2012.